रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2019/पौष 17, 1940
No. 13] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2019/PAUSHA 17, 1940

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2019

सा.का.नि.13(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 के उप खण्ड (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ऊर्जा संरक्षण (निरीक्षण) नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (निरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 है।

 (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा संरक्षण (निरीक्षण) नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'(कक) "स्नातक अभियंता" से वह व्यक्ति जिसने भारत में केन्द्र या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित एक विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षिक संस्थानों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन मानिद विश्वविद्यालय घोषित या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त कोई डिग्री या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री प्राप्त की है, अभिप्रेत है।"

3. उक्त नियमों के नियम 3 में, -

(क) उप-नियमों (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियमों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) अभिहित अभिकरण द्वारा धारा 17 की उप धारा (1) के अधीन इसके अधिकारियों में से निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है जो राज्य सरकार के अवर सचिव के पद के समकक्ष या रैंक पर है और उसे ऊर्जा संरक्षण

या ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में राज्य अभिहित अभिकरणों या किसी विभाग या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्य करने का तीन वर्ष का न्यूनतम व्यावसायिक अनुभव है।

(2) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्नातक अभियंता न हो"

(ख) उप-नियम (4) में, -

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) निरीक्षण को कार्यान्वित करते समय :-

(i) अभिहित उपभोक्ता की किसी इकाई (संयंत्र या भवन या भवन परिसर) या उक्त भवनों के स्वामी द्वारा ऊर्जा खपत मानदण्डों या मानकों या ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा जो धारा 14 के खण्ड (छ) या खण्ड (त) के अधीन निर्दिष्ट है; या

(ii) धारा 14 के खंड (क) या खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट प्रमापों और मानकों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता के कोई परिसर; या

(iii) धारा 14 के खंड (ड.) या खंड (च) या खंड (ज) के अधीन निर्दिष्ट मानदंडो और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी ऊर्जा सघन उद्योग";

(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह जबकि परामर्श के लिए चुने गए मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक या व्यावसायिक संगठन ने अभिहित उपभोक्ता की उक्त इकाई या विनिर्माता के परिसर या ऊर्जा सघन उद्योगों के संबंध में निरीक्षण की तारीख से पिछले चार वर्षों के दौरान कोई ऊर्जा लेखा परीक्षण किया या कराया नहीं है।"

4. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"4. प्रक्रिया और उपकरण का निरीक्षण – जहां लेबल पर विवरणों के प्रदर्शन पर उपकरण या उपस्कर या विनियमों के संबंध में ऊर्जा खपत मानदंड या मानक का अनुपालन किया जाना है, निरीक्षण रिपोर्ट इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप-I में दी जाएगी और इसमें इनका निरीक्षण शामिल होगा -

(क) एक स्थान जहां उक्त उपकरण के विनिर्माण या उत्पादन या संग्रह के संबंध में व्यापार किया जाता है, विनिर्माण का परिसर या अनुज्ञाधारक या वितरक सहित उनके वेयर हाउस, गोदाम, भंडारकक्ष, रिटेल आउटलेट के परिसर, ट्रेडर या विक्रेता, जो पूरे देश में हैं, सुनिश्चित करेंगे कि उक्त उपकरण का कोई भी मॉडल धारा 14 के खण्ड (क) या खण्ड (घ) के अधीन जारी अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट उपबंधों के उल्लंघन में एक लेबल के बिना विनिर्मित, आयात या खरीदे या भंडारित किए या बेचे नहीं जाते हैं;

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट स्थानों पर सुनिश्चित किया जाए कि दूसरे जांच परीक्षण के विफल रहने पर उक्त उपकरण के मॉडल वापस लेने के निर्देश जारी किए जाते हैं जो इसका पालन करते हैं;

(ग) उपकरण पर लगाए गए लेबल पर प्रदर्शित विवरण अधिसूचना या अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों की आवश्यकता के अनुसार सही तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं;

(घ) उक्त उपकरण के संबंध में संवर्धनात्मक या विज्ञापन सामग्री के प्रकाशन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि ये अधिनियम, जारी अधिसूचना या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हैं और इनसे उपभोक्ताओं को गलत जानकारी नहीं दी जाती है।"

5. नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"4क. अभिहित उपभोक्ताओं का निरीक्षण – जहां अभिहित उपभोक्ताओं के संयंत्रों या भवन या भवन परिसर के लिए धारा 14 के खण्ड (छ) में विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानकों के अनुपालन में, निरीक्षण रिपोर्ट इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप-।। में दी जाएगी जिसमें इनका निरीक्षण भी शामिल होगा।

(क) अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों के अनुपालन के संबंध में कार्यान्वित किए गए परिचालन;

(ख) वेयरहाउस गोदामों सहित अभिहित उपभोक्ता के परिसर या इकाइयों की कुल ऊर्जा खपत और उत्पादन का आकलन करना;

(ग) निष्पादन की शुद्धता स्थापित करने के लिए अभिहित उपभोक्ता के परिसर या इकाइयों के उपकरण, उपस्कर, मशीनरी;

(घ) अभिहित उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत डेटा या सूचना का सत्यापन और अभिहित उपभोक्ता की इकाइयों के कार्मिकों के साथ संपर्क, यदि पहले जमा किए गए डेटा की पूरकता के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है।

6. उक्त नियमों के नियम 5 में

(क) उप-नियम (2) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड को रखा जाएगा, अर्थात् : -

“(ख) निरीक्षण के विस्तार क्षेत्र, तारीख और समय की जानकारी देने वाली सूचना निरीक्षण अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को जारी की जाएगी जिसके लिए निरीक्षण कराया जाना है और जहां अभिहित अभिकरण को यह संतुष्टि है कि उक्त सूचना से निरीक्षण के उद्देश्य को खतरा और उद्देश्य समाप्त हो सकता है तो यह कारण लिखित में दर्ज किया जाए, उक्त सूचना के मुद्दे के साथ बताया जाए, जिसमें निम्नलिखित कारकों को विचार में लिया जाए कि उक्त सूचना -

(i) संबंधित व्यक्ति को अनुचित लाभ दिया गया;

(ii) निरीक्षण के स्थान से उस कारण को हटाया जाए, धारा 26 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपकरण या उपस्कर या पुस्तकों या अभिलेखों या दस्तावेजों पर जांच के लिए विचार किया जाए या इनका सत्यापन किया जाए;”

(ख) उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3क) उप नियम (1) के अधीन निरीक्षण करने के निर्णय की जानकारी ब्यूरो के महानिदेशक को 15 दिनों की अवधि के अंदर दी जाए";

(ग) उप नियम (7) का लोप किया जाएगा;

(घ) उप नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(8) निरीक्षण के लिए उपकरण के नमूने यादृच्छिक रूप से निर्माण सुविधा या वेयरहाउस या रिटेल आउटलेट से उचित भुगतान के बाद किए जाएंगे, इन्हें उचित रूप से मुहरबंद किया जाएगा, पहचान का चिन्ह अंकित किया जाएगा ताकि इसकी पहचान सिद्ध की जाए और फिर इसे राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला में भेजा जाएगा

तथा परीक्षण के परिणाम परीक्षण प्रयोगशाला के पास मुहरबंद लिफाफे में अभिहित अभिकरण के अधिकारी के नाम पर भेजे जाएंगे, जिन्हें निरीक्षण अधिकारी रिपोर्ट करते हैं।"

7. उक्त नियमों के नियम 6 में, खण्ड (क) का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 7 में:

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) निरीक्षण रिपोर्ट अभिहित अभिकरण के पास निरीक्षण की तारीख से 10 कार्य दिवसों के अंदर जमा की जाएगी।"

(ख) उप नियम (2) का लोप किया जाएगा।

(ग) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) अभिहित अभिकरण द्वारा निरीक्षण अधिकारी की ओर से जमा की गई निरीक्षण रिपोर्ट की जांच की जाएगी और यदि उक्त जांच पर यह संतुष्टि हो जाती है और उक्त रिपोर्ट में निहित सामग्री तथ्यों के आधार पर एक राय बनती है कि इसमें धारा 26 में संदर्भित किसी उपबंधों के गैर अनुपालन के समर्थन में निष्कर्षात्मक सामग्री है तो निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख के दो माह के अंदर निरीक्षण अधिकारी को यह निर्देश दिया जाएगा कि वे इस मामले को धारा 27 के अधीन उक्त गैर अनुपालन के लिए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ राज्य आयोग के समक्ष दायर करें तथा धारा 26 के अधीन किसी जुर्माने को अधिरोपित करने के प्रयोजन से राज्य आयोग द्वारा नियुक्त अधिनिर्णयन अधिकारी द्वारा की गई जांच के दौरान उक्त व्यक्ति के खिलाफ इसके गैर अनुपालन को सिद्ध करने के लिए सभी तथ्यात्मक सामग्री जमा करें।"

(घ) उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम को अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) अभिहित अभिकरण उपनियम (3) में संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति और दायर किए मामले ब्यूरो को भेजेगा।"

9. नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूपों को अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 1

[नियम 4 देखें]

<u>(मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अधीन निरीक्षण के लिए जांच सूची)</u>

(क) लेबलिंग योजना में शामिल उपकरणों के संबंध में लेबल के प्रदर्शन का तरीका

(**क**) उपकरण या उपस्कर का नाम :

(**ख**) उपकरण या उपस्कर का संस्करण :

(**ग**) संस्करण की रेटिंग :

(**घ**) मॉडल संख्या :

(**ङ**) अनुज्ञाधारक का नाम :

(**च**) क्या लेबल का प्रदर्शन किया गया है (हां या नहीं);

(**छ**) **यदि हां**,

(i) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लेबल लगाने के लिए अनुमोदन देने की तारीख :

(ii) अनुमोदन के अनुसार लेबल की वैधता अवधि

(iii) विद्युत मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन जारी अधिसूचना में स्टार लेवल निर्दिष्ट मानदण्ड :

(iv) अनुमोदित स्टार लेवल और वास्तव में प्रदर्शित :

(v) लेबल की सामग्री खण्ड (घ) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार उस उपस्कर या उस उपस्कर की अनुसूची के लिए, जैसा लागू हो :

(vi) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (संबंधित उपकरण के लेबलों पर इनके प्रदर्शन के विवरण और रीति) विनियम, 2009 के अनुसार लेबल का रंग और आयाम उस उपकरण या उस उपकरण की अनुसूची के लिए, जैसा लागू हो :

(ज) विज्ञापन सामग्री में उपबंधित जानकारी की शुद्धता

(झ) लेबल युक्त विनिर्मित उपकरण की प्रतिवर्ष संख्या :

(ञ) क्या लेबल रंग और आयाम सहित विनिमयमों के अनुसार मुद्रित और प्रदर्शित किए गए हैं :

(ट) गैर अनुपालन का प्रकार धारा 27 के अधीन संबंधित व्यक्ति के खिलाफ गैर अनुपालन के समर्थन में सभी तथ्यात्मक सामग्री के साथ समझाए जाएंगे और इस मामले में आवश्यक सिफारिश की जाएगी :

(ख) उपस्कर के दूसरे परीक्षण के मामले में -

(क) उपस्कर का नाम :

(ख) उपकरण या उपस्कर का संस्करण :

(ग) संस्करण की रेटिंग

(घ) मॉडल सं. :

(ङ) अनुज्ञाधारक का नाम :

(च) प्रार्थित द्वारा चुनौती परीक्षण :

(छ) लेबल को लगाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दी गई अनुमोदन की तारीख :

(ज) अनुमोदन के अनुसार लेबल की वैधता अवधि :

(झ) स्टार स्तर मानदंड :

(ञ) अनुमोदन के अनुसार स्टार स्तर और वास्तव में प्रदर्शित :

(ट) नमूने के पिक-अप की तारीख और स्थान :

(ठ) निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र अभिकरण का नाम :

(ड) परीक्षण प्रयोगशाला :

(ढ) परीक्षण की शुरुआत और समाप्ति तारीख :

(ण) परीक्षण के लिए संगत भारतीय मानक सहिता :

(त) दूसरे परीक्षण के विफल रहने पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी निर्देश का प्रकार

(थ) अनुज्ञाधारक द्वारा "पी" में संदर्भित निर्देश पर और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी अगले निर्देश पर की गई कार्रवाई, यदि कोई है।

(द) की गई कार्रवाई पर अनुसंधान के निरीक्षण द्वारा की गई सिफारिश और की गई अनुवर्ती कार्रवाई।

प्ररूप II

[नियम 4क देखें]

निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रारूप

(निरीक्षण रिपोर्ट विशुद्ध, स्व-व्याख्यात्मक तथा सभी तथ्यों और निष्कर्षों के प्रतिनिधित्व सहित होनी चाहिए। निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप उपयोग किए जाए)

1. निरीक्षण का स्थान और तारीख:

2. राज्य अभिहित अभिकरण का नाम :

3. निरीक्षक का नाम :

4. निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण संख्या

5. निरीक्षण की संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

क. योजना जिसके लिए निरीक्षण किया गया है

ख. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के अधीन अनुपालन के सत्यापन के लिए सुसंगत धाराएं

ग. उप घटक जिसके लिए निरीक्षण किया गया है अर्थात् निरीक्षण प्रक्रिया के बिन्दु (क) या (ख) या (ग) या (घ)

6. निरीक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण :

7. किए गए निरीक्षण के निष्कर्ष : ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के सुसंगत गैर अनुपालन खण्ड का उल्लेख करें

गैर अनुपालन के प्रकार विस्तार से निर्दिष्ट करें

8. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के सुसंगत खण्ड के अधीन जारी अधिसूचना – अधिसूचना संख्या और तारीख के विवरण, अधिसूचना की विषय वस्तु अर्थात् नियम या विनियम या निर्देश अर्थात् नियम या विनियमन संख्या बताएं जिसका पालन नहीं किया गया है।

9. (निरीक्षण के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए पर्याप्त प्रमाण दिए जाएं, प्रमाणों के विवरण का उल्लेख करें)

10. सिफारिश : (सिफारिश में उल्लेख किया जाए कि क्या यह एक 'चूक' का मामला है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन या हानि हुई है तथा क्या इस मामले को जांच या जुर्माना लगाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के अनुसार जांच हेतु प्राधिकारी के पास भेजना चाहिए)।

[फा. सं. 10/2/08-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड(i) में अधिसूचना सं. सा. का. नि 645 (अ), तारीख 30 जुलाई, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. सा. का. नि 645 (अ) तारीख 26 अगस्त, 2011 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2019

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Energy Conservation (Inspection) Rules, 2010, namely: -

2. (1) These rules may be called the Energy Conservation (Inspection) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Energy Conservation (Inspection) Rules, 2010 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -

'(aa) "graduate engineer" means a person who has obtained a bachelor's degree in Engineering from an University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed Universities under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any degree recognised by the All India Council for Technical Education as equivalent or has obtained a bachelor's degree in Engineering from any foreign University or institution recognised by the Central Government;'.

3. In rule 3 of the said rules, -

(A) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely: -

"(1) The designated agency may, appoint inspecting officer under sub-section (1) of section 17 from amongst its officers holding a post equivalent or in the rank of Under Secretary to the State Government, and having minimum professional experience of three years in the field of energy conservation or energy efficiency in the State designated agencies or any Department or Office of the Central Government or a State Government.

(2) No Inspecting Officer shall be appointed under sub-section (1) of section 17 unless he is a graduate engineer."

(B) in sub-rule (4), -

(A) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

"(a) while carrying out an inspection of-

(i) any unit (plant or building or building complex) of designated consumer or other owner of such building for ensuring compliance with the energy consumption norms or standards or the energy conservation building codes specified under clause (g) or clause (p) of section 14; or

(ii) any premises of manufacturer for ensuring compliance with the norms and standards specified under clause (a) or clause (d) of section 14; or

(iii) any energy intensive industry for ensuring compliance with the norms and standards specified under clause (e) or clause (f) or clause (h) of section 14.";

(B) after clause (d), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the accredited energy auditor or professional organisation chosen for consultation shall not have undertaken any energy audit or done anything in relation to such unit of designated consumer or premises of manufacturer or energy intensive industry during the previous four years from the date of inspection;".

4. For rule 4 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: -

"4. **Inspection of processes and equipment**. - Where compliance to norms or energy consumption standards in respect of equipment or appliance or regulations on display of particulars on label is required the inspection report shall be made in Form-1 annexed to these rules and shall include inspection of -

(a) a place where business in-connection with manufacture or production, or assembly, of the said equipment takes place, premises of the manufacturer, or permittee, or distributors including their warehouses, godowns, store rooms, premises of the retail outlets, traders or sellers all over the country to ensure that no model of the said equipment is manufactured, or imported, or purchased, or stored or sold without a label in violation of the provisions specified in notification issued under clause (a) or clause (d) of section 14;

(b) the places specified in clause (a) above to ensure that directions issued for withdrawal of the models of such equipment on account of failure of second check-testing are complied with;

(c) the particulars displayed on the label affixed to an equipment are accurately displayed as required by the Act or notification issued or regulations made thereunder;

(d) the promotional or advertising material published in respect of such equipment to ensure that they conform to the provisions of the Act, notification issued or regulations made thereunder and do not mislead the consumers.",

5. after rule 4, the following rule shall be inserted, namely: -

"4A. **Inspection of designated consumers**. - Where compliance to energy consumption standards specified for plants of designated consumers or building or building complex specified in clause (g) of section 14, inspection report shall be made in Form II annexed to these rules and shall include inspection of-

(a) operations carried out in connection with compliance with the notified energy consumption standards;

(b) premises or units of the designated consumer including warehouses godowns to assess the total energy consumption and production;

(c) appliances, equipment, machinery of the premises or units of the designated consumer to establish accuracy of the performance;

(d) Verification of the data or information furnished by the designated consumer and interaction with the personnel of the units of the designated consumer, if further information to supplement the data submitted earlier is required.

6. In rule 5 of the said rules, -

(A) in sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

"(b) notice specifying the scope, date and time of inspection shall be issued by the inspecting officer to the person against whom the inspection is sought and where the designated agency is satisfied that such notice may endanger the objective of inspection and defeat its purpose, it shall for reasons to be recorded in writing, dispense with the issue of such notice taking into account the following factors that such notice shall -

(i) give unfair advantage to the person concerned;

(ii) cause to be removed from the place of inspection, the equipment or appliances or books or records or documents sought to be considered for checking or verification for the purpose of ensuring compliance with the provisions of section 26";

(B) after sub-rules (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(3A) The decision for undertaking inspection under sub-rule (1) shall be intimated to the Director-General of the Bureau, within a period of fifteen days.";

(C) sub-rule (7) shall be omitted;

(D) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(8) The sample of the equipment for inspection shall be taken at random from the manufacturing facility or warehouse or retail outlet after due payment, sealed properly, marked with identification mark to establish its identity and sent to a laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories and the result of the testing shall be sent by the testing laboratory, in sealed cover, by name, to the officer of the designated agency to whom the inspecting officer shall be reporting.".

7. In rule 6 of the said rules, clause (a) shall be omitted.

8. In rule 7 of the said rules,

(A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(1) The inspection report shall be submitted to the designated agency within ten working days from the date of inspection.";

(B) sub-rule (2) shall be omitted;

(C) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(3) The designated agency shall examine the inspection report submitted by the inspecting officer and if it is satisfied on such examination and forms an opinion on the basis of the material facts contained in the said report that there is conclusive material in support of non-compliance with any of the provisions referred to in section 26, then, it shall within two months from the date of receipt of inspection report, give directions to the inspecting officer, to file a case before the State Commission against the person concerned for such non-compliance under section 27 and submit all material facts to prove its non-compliance against the said person, during the inquiry held by the adjudicating officer appointed by the State Commission for the purpose of imposing any penalty specified under section 26.;"

(D) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(4) The designated agency shall send to the Bureau, a copy of the inspection report, and the case filed, together with all the documents referred to in sub-rule (3).".

9. After rule 7 of the said rules, the following Forms shall be inserted, namely: -

"Form 1

[See rule 4]

(<u>Check-List for Inspection under Standard and Labelling Programme</u>)

(A) Manner of Display of Labels in respect of equipment covered in the labelling scheme.

(a) Name of the Equipment or Appliance:

(b) Variant of the Equipment or Appliance:

(c) Rating of the Variant:

(d) Model No.:

(e) Name of the Permittee:

(f) Whether display of label done (Yes or No);

(g) **If Yes,**

(i) Date of Approval given by Bureau of Energy Efficiency to affix the label:

(ii) Validity Period of the label as per approval

(iii) Star level criteria specified in the Notification issued by the Central Government in the Ministry of Power under clause (a) of section 14 of the Act:

(iv) Approved Star level and actually displayed:

(v) Contents of the label as per regulations framed under clause (d) for that equipment or Schedule of that equipment as applicable:

(vi) Colour and dimension of the label as per as per Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manners of their Display on labels of the concerned equipment) Regulations, 2009 for that equipment or Schedule of that equipment as applicable:

(h) Correctness of the information provided in the advertising material

(i) Numbers of labelled equipment manufactured annually:

(j) Whether labels are printed and displayed as per regulations made including colour and dimension:

(k) nature of non- compliance shall be explained together with all the material facts in support of non-compliance against the person concerned under section 27 and make necessary recommendation in the matter:

(B) In case of second test of the equipment: -

(a) Name of the equipment:
(b) Variant of the Equipment or Appliance:
(c) Rating of the Variant:
(d) Model No:
(e) Name of the Permittee:
(f) Challenge testing requested by:
(g) Date of Approval given by Bureau of Energy Efficiency to affix the label:
(h) Validity Period of the label as per approval:
(i) Star level criteria:
(j) Star level as per approval and actually displayed:
(k) Date and Place of Pick-up of Sample:
(l) Name of Independent Agency for Monitoring and Evaluation:
(m) Test Laboratory:
(n) Start and End date of testing:
(o) Relevant Indian Standard Code for testing:
(p) Nature of the direction issued by the Bureau of Energy Efficiency on failure of the second test
(q) Action taken by the permittee, on direction refer to the in p and the further direction issue by the Bureau of Energy Efficiency, if any
(r) Recommendation made by the inspecting of research an action taken and follow up action taken

Form II

[See rule 4A]

Format for Inspection Report

[The inspection report should be precise, self-explanatory and representative of all facts and findings. The following format may be used for preparation of inspection report]

1. Place and Date of Inspection:

2. Name of the State Designated Agency
3. Name of the Inspector
4. Authority Number for undertaking Inspection

5. Brief Background of the Inspection:

   (a) Scheme for which Inspection has been undertaken

   (b) Relevant Sections for verification of compliance under Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001):

(c) Sub-Component for which the inspection is done i.e. Point # (a) or (b) or (c) or (d) of the Inspection Procedure

6. Brief of the procedure followed for the inspection:

7. Findings of the Inspection done: Mention the relevant non-compliance clause of section 14of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001)

   Specify in detail the nature of non-compliance

8. Notification issued under relevant clauses of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001)- Mention details of Notification-Number, and Date; subject-matter of the Notification i.e. Rule or Regulation or Direction. Indicate Rule or Regulation number which have been non-complied

9. (Sufficient proof needs to be furnished while mentioning findings of the inspection,

   Specify the details of proofs)

10. Recommendation: [The recommendation should mention that whether the case is a 'Defaulter' amounting to loss or violation of Direction issued by the Central Government or Bureau of Energy Efficiency and whether the case should be referred to the authority for Inquiry or Levy of Penalty as per Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001)].

[F. No. 10/2/08-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub–section (i) vide notification number G.S.R. 645 (E), dated the 30th July, 2010 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 645 (E), dated the 26th August, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.01.10 12:49:54 +05'30'